तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.05.2025	अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) जोधपुर जिला (ग्रामीण) एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय फलोदी के आदेश से पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में बैच के समक्ष प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी एंव पैरोकार सरकार उपस्थित। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार के निवेदन पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना माफिक इस्तदुआ स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। 10/5/25 सदस्य सहायक कलक्टर बाप (फलोदी) राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या 05 अध्यक्ष सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाप राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या 05	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 254/2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2024/363
दायर दिनांक :— 18.10.2024 निर्णय दिनांक :— 10.05.2025

1. जोराराम पुत्र ईसराराम जाति मेगवाल निवासी कानासी मोटी तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रार्थीगण

बनाम

1. अजाराम पुत्र टीकूराम जाति मेगवाल निवासी कानासी मोटी तहसील बाप जिला फलोदी
2. कानाराम पुत्र टीकूराम जाति मेगवाल निवासी कानासी मोटी तहसील बाप जिला फलोदी
3. नखताराम पुत्र टीकूराम जाति मेगवाल निवासी कानासी मोटी तहसील बाप जिला फलोदी
4. पूनाराम पुत्र टीकूराम जाति मेगवाल निवासी कानासी मोटी तहसील बाप जिला फलोदी
5. मानाराम पुत्र टीकूराम जाति मेगवाल निवासी कानासी मोटी तहसील बाप जिला फलोदी
6. आईसीआईसीआई बैंक शाखा फलोदी जरिये शाखा प्रबन्धक
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :—1. श्री नारायणसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता अ.सं. 1

:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आश्य से पेश किया है कि राजस्व ग्राम कानासी मोटी तहसील बाप के खसरा नबर 9 रकबा 4.3301 हैक्टेयर का आया हुआ है। खसरा नम्बर 9/1 रकबा 3.2375 हैक्टेयर काश्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की संयुक्त खातेदारी एंव कब्जा काश्त की आई हुई है। प्रार्थी की खसरा नम्बर 9 रकबा 4.3301 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार मौके पर कब्जा व काश्त है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर मानसून की वर्षात से फसल एंव प्राकृतिक पैदावार प्राप्त कर निरन्तर शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 मूल खसरा नम्बर 9 की भूमि को लेकर कभी विधिवत बंटवाड़ा नहीं किया और न ही प्रार्थी ने तरमीम बाबत किसी प्रकार कभी भी सहमति दी है लेकिन मूल खसरा नम्बर 9 के अलग अलग बटटा नम्बर के रूप में अलग अलग राजस्व रेकर्ड में खाते होने से पटवारी हल्का ने सेग्रीकेशन योजना के तहत सरासर गलत तरीके से बिना किसी सक्षम न्यायाल के आदेश के बावजूद प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 को सूचित किये बगैर ही कब्जा काश्त के विपरित बिना किसी विधिक आदेश के कर दी जो सरासर गलत है। इसलिये प्रार्थी उपरोक्त वर्णित खसरान् की विधि विरूद्ध

10/5/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

तरमीम को निरस्त करवाकर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थी नवीन तरमीम करवाने का अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 तहसीलदार बाप ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 की और से श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने वकलातनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 जवाब पेश नही करना चाहते है। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम कानासी मोटी तहसील बाप के खसरा नम्बर 9 रकबा 4.3301 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 9/1 रकबा 3.2375 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। तहसीलदार के जवाब एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को दुरूस्त किया जाकर पटवारी हल्का कानासर की मौका रिपोर्ट दिनांक 22.11.2024 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कानासी मोटी तहसील बाप के खसरा नम्बर 9 रकबा 4.3301 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 9/1 रकबा 3.2375 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को दुरूस्त की जाकर पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 22.11.2024 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/5/25

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर